रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2000/अग्रहायण 30, 1922 No. 627] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2000/AGRAHAYANA 30, 1922

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2000

सा.का.नि. 924(अ):—केन्द्रीय सरकार, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 की धारा 21) की धारा 6 की उप-धारा (i) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एस. बी. साक्रिकर को 15 सितम्बर, 2000 (अपराहन) से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों के कल्याण के लिए समवर्ती प्रभार सहित आयुक्त के वर्तमान पद पर नियुक्त करती है । यह इस विभाग के दिनांक 19 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 622(अ) के क्रम में है ।

[फा. सं. 21/27/95-भोपाल सेल]

अशोक चावला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2000

G.S.R. 924(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby appoints Justice Shri S B. Sakrikar, sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the Victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for further period of one year with effect on and from 15th September, 2000 (afternoon) This is in continuation of this Department's notification No. GSR 622 (E) dated the 19th July, 2000.

> [F.No. 21/27/95-B. Cell] ASHOK CHAWLA, Jt. Secy

3452 GI/2000

, **X**,

4-

£

.